2023 का अधिनियम संख्यांक 159

[दि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सैकेंड अमेंडमेंट) बिल, 2023 का हिन्दी अनुवाद]

# केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023

**केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017**
**का और संशोधन**
**करने के लिए**
**विधेयक**

भारत गणराज्य के चौहतरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

**1.** इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 है । संक्षिप्त नाम ।

2017 का 12 **2.** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 110 में,— धारा 110 का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में,—

(I) खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात, निम्नलिखित उपखंड अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) अपील अधिकरण, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण, राज्य मूल्यवर्धित कर अधिकरण, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मामलों में मुकदमेबाजी में सारवान् अनुभव के साथ दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो";

(II) निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु कोई व्यक्ति, जिसने पचास वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, अध्यक्ष या सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा";

(ख) उपधारा (9) में, "सड़सठ वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो और दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्दों के स्थान पर, "सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट आयु सीमा के अधीन रहते हुए दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (10) में, "पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे और वे पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे" शब्दों के स्थान पर, "सड़सठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट आयु सीमा के अधीन रहते हुए दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" शब्द रखे जाएंगे ।

## उद्देश्यों और कारणों का कथन

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), माल और सेवा कर अपील अधिकरण के गठन का उपबंध करता है, जो केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा राज्य माल और सेवा कर अधिनियमों के अधीन अपील प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए माल और सेवा कर फ्रेमवर्क के भीतर दूसरा अपील प्राधिकरण है । माल और सेवा कर अपील अधिकरणों का गठन न करने से करदाता दूसरे अपील उपचार से वंचित हो रहे हैं और परिणामस्वरूप करदाता सीधे उच्च न्यायालय से अनुतोष की ईप्सा कर रहे हैं, जिससे उच्च न्यायालयों पर भार बढ़ रहा है ।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 109 और धारा 110 के माल और सेवा कर अपील अधिकरणों के सृजन को समर्थ बनाने वाले संशोधनों को अधिसूचना सं. 28/2023-केंद्रीय कर, तारीख 31 जुलाई, 2023 द्वारा अधिसूचित किया गया था । उक्त अधिकरण को प्रचालनशील बनाने की प्रक्रिया के दौरान यह पर्यवेक्षण किया गया कि केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के कतिपय उपबंधों को अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 (2021 का 33) के अनुरूप करने की आवश्यकता है ।

3. तद्नुसार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के उपबंधों को अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे माल और सेवा कर अपील अधिकरणों को प्रचालनशील बनाने की प्रशासनिक प्रक्रिया को अतिशीघ्र आरंभ किया जा सके ।

4. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

**नई दिल्ली ;**
**5 दिसंबर, 2023**

**निर्मला सीतारामन**

# वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों में भारत की संचित निधि में से आवर्ती या गैर-आवर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

## केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनिण, 2023 (2017 का अधिनियम संख्यांक 12) से उद्धरण

* * * * * *

**110.** (1) कोई व्यक्ति निम्नलिखित की नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा— अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हता, नियुक्ति, सेवा की शर्तें, आदि ।

* * * * * *

(ख) न्यायिक सदस्यके लिए, जब तक कि वह—

* * * * * *

(ii) दस वर्ष की संयुक्त अवधि के लिए जिला न्यायाधीश या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश न रहा हो;

* * * * * *

(9) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण का कोई अध्यक्ष, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए या सडसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

(10) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, आदेश या डिक्री या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण का कोई न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (केंद्रीय) या तकनीकी सदस्य (राज्य), उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा ।

* * * * * *